रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 697] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 1990/अग्रहायण 6, 1912
No. 697] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER, 27 1990/AGRAHAYANA 6, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1990

का. आ. 917(अ):— यत : नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड और विभिन्न नेताओं के तहत उसके सभी गुटों और धड़कों, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् एन. एस. सी. एन. कहा गया है, एवं एन. एस. सी. एन. की ओर से अथवा उसके नाम से कार्य करने वाली एजेन्सियां

(1) नागालैण्ड में भारत के लोगों को सम्प्रभु नागालैण्ड स्थापित करने का अधिकार दिलाने एवं फलस्वरूप भारत से अलग होने को अपने उद्देश्य के रूप में घोषित करती रही हैं।

(2) ऐसी गतिविधियों में लिप्त रही हैं जिनका आशय भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता को छिन्न-भिन्न करना है,

(3) अपने उद्देश्य के अनुसरण में, जिसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने तथा आतंक का वातावरण उत्पन्न करने तथा विधसम्मत ढंग से स्थापित सरकार की सत्ता को दुर्बल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता समय-समय पर दहुराई है। हिंसा की गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल है :—

(क) क्षति पहुंचाने तथा शस्त्र एवं गोला बारूद छीनने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों तथा पुलिस की चौकियों, गश्तों तथा कार्मिकों पर घात लगाकर आक्रमण करना तथा हमले करना,

(ख) अपने कोष में वृद्धि के लिए सरकारी कोषों, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा दूसरे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट तथा डकैतियां करना,

(ग) उनके हित के कथित रूप से विरोधी व्यक्तियों की हत्या तथा ऐसे नागरिकों की हत्या करना जिन पर सुरक्षा बलों तथा पुलिस के मुखबिर होने का सन्देह है,

(घ) धन ऐंठना, राशन की वसूली करना, नये कार्यकर्ताओं की भर्ती करना आदि;

और यत : केन्द्रीय सरकार का उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह मत है कि एन. एस. सी. एन. एक विधि-विरुद्ध संगठन है ;

अत : अब, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नेशनल सोशलिस्ट काऊंसिल ऑफ नागालैण्ड को, इसके गुटों और घटकों सहित एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित करती है।

केन्द्रीय सरकार का आगे यह मत है कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अर्थात् एन. एस. सी. एन. द्वारा हाल ही में पुलिस, अन्य सशस्त्र बलों तथा नागरिकों के खिलाफ की जा रही लगातार हिंसा का मुकाबला करने के लिए एन. एस. सी. एन. को तत्काल

प्रभावी रूप से एक विधि-विरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार उक्त धारा की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 11/42/86—एन ई-1 (वाल्यूम-III)]

विनय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1990

S.O. 917(E).—Whereas the National Socialist Council of Nagaland, and all factions and wings thereof under various leaders, hereinafter referred to as NSCN, and the agencies purporting to act on or behalf of NSCN or in its name :

(1) has been declaring as its objective the securing to the people of India in Nagaland, the right to establish sovereign Nagaland, and thereby to secede from India,

(2) has been engaging in activities intended to disrupt the sovereignty and integrity of India.

(3) in pursuance of its objective has, from time to time reiterated its commitment to pursue the violent path for achieving its objective and unleashing a reign of terror and undermining the authority of the lawfully established government. The violent activities include (a) ambushes and attacks on posts, patrols and personnel of the security forces and the police with a view to inflicting casualties and snatching arms and ammunition, (b) looting and robberies of government treasuries, nationalised banks and other commercial establishments for augmenting their finances, (c) assassination of persons allegedly opposed to their interest and killing of civilians suspected to be informers of the security forces or the police, (d) extortion of funds, collection of rations, enlistment of new recruits etc :

And whereas the Central Government is of the opinion that on the materials placed before it, the NSCN is an unlawful association :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) including all its factions and wings as unlawful association.

The Central Government is further of opinion that having regard to the circumstances namely, the urgent need to meet the sustained violence committed by the NSCN in the recent past against the police, the other armed forces and the civilians, it is necessary to declare the NSCN as unlawful association with immediate effect, and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section the Central Government directs that the notification shall subject to any other that may be made under section 4 of the said act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 11|42|86-NE. I (Vol. III)]

VINAY SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990